31

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
**समक्षः— श्री एस0 एस0 अली**
**सदस्य**

प्रकरण क्रमांक अध्यक्ष/निगरानी/राजगढ़/भूरा/2017/3343 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 8.6.17 के द्वारा राजस्व निरीक्षक कुरावर, जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 15/अ–12/2016–17.

.......

मोहम्मद याकूब आत्मज पना मोहम्मद
निवासी ग्राम कोटरीकला तहसील
कुरावर जिला राजगढ़ म0 प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

जगदीश आत्मज हरिप्रसाद
निवासी ग्राम कोटरीकला तहसील
कुरावर जिला राजगढ़ म0 प्र0

———अनावेदक

................

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय,

...............

**आदेश**
(आज दिनांक 03/7/18 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक कुरावर, जिला राजगढ़ द्वारा पारित आदेश 8–6–17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण क्रमांक अध्यक्ष / निगरानी / राजगढ़ / भूरा / 2017 / 3343



2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम कोटरीकला स्थित भूमि खसरा कमांक 282 / 1 रकबा 0.367 है0 भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन दिया । उक्त आवेदन पर प्रकरण कमांक 15 / अ–12 / 2016–17 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा सीमांकन जाकर दिनांक 8.6.17 को आदेश पारित किया जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि सीमांकन की कार्यवाही विधि विरूद्व तरीके से की जाकर आवेदक का अवैध कब्जा उक्त भूमि पर निकाला गया है। जबकि आवेदक का अपने स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर अपने पूर्वजों के जमाने से कब्जा है, जिसके संबंध में अनावेदक को भली भांति ज्ञान है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किये जाने के पूर्व आवेदक को विधिवत् नोटिस की तामील नहीं की गई है ऐसी दशा में आवेदक की अनुपस्थिति में किया गया सीमांकन अवैध एवं अवैधानिक होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक ने न तो अनावेदक की भूमि पर कब्जा किया है और न ही उसको बेदखल किया गया है। अंत में उनके अनुरोध किया गया कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक कुरावर का आदेश दिनांक 8.6.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि दिनांक 5.6.17 को सूचना पत्र जारी किया गया था जिसमें दिनांक 8.6.17 को सीमांकन करने हेतु सूचित किया गया था उसमें यह भी लेख किया गया था कि सीमांकन संबंधी दस्तावेज लेकर उपस्थित हों, अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पंचनामा में स्पष्ट लेख किया गया है कि सर्वे कमांक 282/1 रकवा 0.379 है0 भूमि संपूर्ण रकवा आवेदक का क़ब्जा पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सीमांकन में कोई रूचि नहीं ली गई है इसलिये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। आवेदक चाहे तो अपना सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र है। अतः राजस्व निरीक्षक कुरावर, जिला राजगढ़ का आदेश दिनांक 8.6.17 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, उनके द्वारा धारा 129 के नियमों का पालन किया गया है। राजस्व निरीक्षक कुरावर, जिला राजगढ़ का आदेश दिनांक 8.6.17 स्थिर रखने योग्य है।

6—उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक कुरावर, जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 15/अ—12/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 8—6—2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर